

कार्यालय जिलाधिकारी, अलीगढ़।

पत्रांक टैबलेट/स्मार्ट फोन/राज0आईटीआई/आदेश/2024/83

दिनांक 27 अगस्त, 2024

आदेश

कृपया प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ पत्र संख्या 680/77/1/2024(1720557) दिनांक 22-08-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत ऐसे छात्र-छात्रायें जिन्हें किसी कोर्स अवधि में स्मार्टफोन अथवा टैबलेट प्राप्त हो चुके हैं, को अग्रेतर न्यू कोर्स अवधि के समय पुनः स्मार्टफोन अथवा टैबलेट कराये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है कि स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत निःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 975/77-1-2022-156/2021 दिनांक 18-07-2022 के बिन्दु संख्या 3- लाभार्थियों का चयन के प्रस्तर-3 में प्राविधानित किया गया है कि "संबंधित विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विचाराधीन योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने वाले युवाओं को राज्य सरकार की अन्य किसी योजना(स्कूली शिक्षा को छोड़कर) के अन्तर्गत स्मार्टफोन/टैबलेट प्राप्त न हुए हों। संकलित किये जाने वाले समस्त डाटा को पोर्टल पर अपलोड किये जाने, पुष्टिकृत किये जाने एवं उसकी शुद्धता सुनिश्चित किये जाने का सम्पूर्ण दायित्व सम्बंधित विभाग/विभागाध्यक्ष तथा संबंधित संस्था प्रमुख का होगा।

उक्त शासनादेश दिनांक 18-07-2022 में दिये गये उपरोक्त प्राविधान के अनुसार स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत भी किसी छात्र/छात्रा को किसी एक कोर्स अवधि में स्मार्टफोन अथवा टैबलेट प्राप्त हो जाने के उपरान्त किसी अन्य कोर्स अवधि में स्मार्टफोन अथवा टैबलेट का पुनः वितरण नहीं किया जाना है। इसके अतिरिक्त किसी छात्र का नाम एक ही संस्थान में एक से अधिक बार अंकित होने पर एक बार ही स्मार्टफोन अथवा टैबलेट वितरण किया जाना है। इस संबंध में सभी संबंधित कॉलेज/महाविद्यालयों/तकनीकी/व्यावसायिक/चिकित्सा इत्यादि संस्थानों के प्रधानाचार्यों/नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त शासनादेश में दी गयी व्यवस्था एवं उक्त निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(मीनू राणा)

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
अलीगढ़।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-

1. जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. रजिस्ट्रार महोदय राजा महेन्द्र प्रताप यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को इस अनुरोध कि साथ प्रेषित कि डिजीशक्ति पोर्टल से आच्छादित जनपद अलीगढ़ के समस्त संबंधित कॉलेजों/महाविद्यालयों/संस्थानों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. रजिस्ट्रार महोदय डा0 भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा को इस अनुरोध कि साथ प्रेषित कि डिजीशक्ति पोर्टल से आच्छादित जनपद अलीगढ़ के समस्त संबंधित कॉलेजों/महाविद्यालयों/संस्थानों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि जनपद के समस्त नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल कॉलेज अथवा अन्य चिकित्सा संस्थानों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. नोडल अधिकारी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. नोडल अधिकारी, जे0एन0एम0सी0 अलीगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि तत्काल संबंधित समस्त राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को तामील कराना सुनिश्चित करें।
8. डा0 बिजेन्द्र प्रताप सिंह, नोडल अधिकारी उच्च शिक्षा अलीगढ़ परिक्षेत्र को इस निर्देश के साथ कि संबंधित समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालयों को तामील कराना सुनिश्चित करें।
9. प्रधानाचार्य, महामाया पॉलिटेक्निक ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि संबंधित समस्त निजी पॉलीटेक्निक/इंजीनियरिंग कॉलेज इत्यादि को तामील कराना सुनिश्चित करें।
10. डिजीशक्ति पोर्टल पर आच्छादित समस्त कॉलेज/महाविद्यालय/तकनीकी/व्यावसायिक/चिकित्सा इत्यादि संस्थानों के नोडल अधिकारियों को व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से अनुपालनार्थ प्रेषित।


27.08.24
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
अलीगढ़।

Dm
23/08/24संख्या:-680/77-1-2024(1720557)

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 22-08-2024

विषय:- स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत ऐसे छात्र-छात्राये जिन्हें किसी कोर्स अवधि में स्मार्टफोन अथवा टैबलेट प्राप्त हो चुके हैं, को अग्रेत्तर अन्य कोर्स अवधि के समय पुनः डिवाइस उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/ महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को के पत्र संख्या-डी/24-25/1825 दिनांक 20.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में कई जनपदों के प्रतिनिधियों एवं संस्थानों के नोडल अधिकारियों द्वारा स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत ऐसे छात्र-छात्राये जिन्हें किसी कोर्स अवधि में स्मार्टफोन अथवा टैबलेट प्राप्त हो चुके हैं, को अग्रेत्तर अन्य कोर्स अवधि के समय पुनः डिवाइस उपलब्ध करायी जानी है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।

2- अवगत कराना है कि स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत निःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 975/77-1-2022-156 / 2021 दिनांक 18.07.2022 के बिन्दु संख्या-3-'लाभार्थियों का चयन के प्रस्तर-3 में निम्नवत प्राविधानित है:-

"सम्बन्धित विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विचाराधीन योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने वाले युवाओं को राज्य सरकार की अन्य किसी योजना (स्कूली शिक्षा को छोड़कर) के अन्तर्गत स्मार्टफोन/टैबलेट प्राप्त न हुये हों। संकलित किये जाने वाले समस्त डाटा को पोर्टल पर अपलोड किये जाने, पुष्टिकृत किये जाने एवं उसकी शुद्धता सुनिश्चित किये जाने का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित विभाग / विभागाध्यक्ष तथा सम्बन्धित संस्था प्रमुख का होगा।"

3- उक्त शासनादेश दिनांक 18.07.2022 में दिये गये उपरोक्त प्राविधान के अनुसार स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत भी किसी छात्र / छात्रा को किसी एक कोर्स अवधि में स्मार्टफोन अथवा टैबलेट प्राप्त हो जाने के उपरान्त किसी अन्य कोर्स अवधि में स्मार्टफोन अथवा टैबलेट का पुनः वितरण नहीं किया जाना है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी के माध्यम से योजना से सम्बन्धित जनपद के समस्त संस्थानों के नोडल अधिकारियों को उक्त प्राविधान से अवगत कराने का कष्ट करें।

Signed by

भवदीय,

Anil Kumar Sagar

(अनिल कुमार सागर)

Date: 22-08-2024 19:50:36 प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास मिशन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम, पशुधन विभाग, कृषि विभाग, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, संस्कृति विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ शिक्षण संस्थानों को यथोचित माध्यम से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

2. कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी

- तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, वाराणसी, राजीव गाँधी नेशनल एवीएशन विश्वविद्यालय, फुरसतगंज, अमेठी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ समस्त सम्बन्धितों को यथोचित माध्यम से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
 4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव